न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर कोर्ट रीवा,

(म०प्र०)

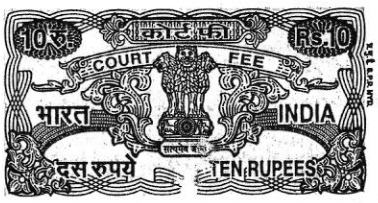

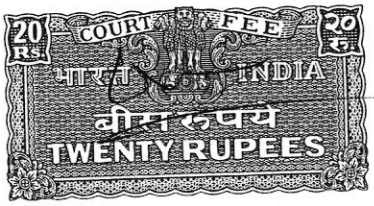







श्री के.बी. पाण्डेय एड. द्वारा पेश 24.7.14

R-2518-III/14

1:- दुर्गा शंकर चौरसिया }
 } दोनों के पिता स्व० रामाश्रय चौरसिया
2:- उमाशंकर चौरसिया }

दोनों निवासी ग्राम गंज वार्ड क्रमांक-5, थाना व तहसील मऊगंज, जिला रीवा, (म०प्र०) ------आवेदक-निगरानीकर्ता

409
24.7.14

बनाम

1:- कौशल प्रसाद पिता बंशधारी राम ब्रा० निवासी ग्राम गंज, थाना व तहसील मऊगंज, जिला रीवा, (म०प्र०)

2:- सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र चिकित्सा (पशुधन), मऊगंज, जिला रीवा, (म०प्र०) --------- अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

क्रमांक 2511
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 2-8-14 को प्राप्त
8-14
... ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के रा०प्र०क्रं० -619/अपील/13-14 मे पारित आदेश दिनांक -30-6-14 अन्तर्गत धारा - 50 म०प्र०भू०रा०सं० सन् 1959 ई०।

---

मान्यवर,

पुनरीक्षण याचिका के संक्षिप्त तथ्यात्मक विवरण:--

(अ) :- यह कि प्रकरण की विषय वस्तु यह है कि भूमि ख०क्रं०-448 रकबा 0-49ए०, के स्थित ग्राम गंज, तहसील मऊगंज, जिला रीवा, म०प्र० के भूमि स्वामी सर्वे बन्दोबस्त मे बंशीराम एवं रामसेवक थे उसके बाद वार्षिक खतौनी वर्ष 1958-59 मे उक्त प्रश्नाधीन भूमि दो उपखण्डों मे कायम होकर ख०नं०-448/1 रकबा 0-23ए०, तथा 448/2 रकबा 0-26ए०, के भूमि स्वामी अना० क्रमांक-1 कौशल प्रसाद दर्ज हुये उक्त

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक** R -2518–तीन–.2014 **जिला रीवा**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश<br>दुर्गाशंकर / कौशल प्रसाद | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 10 –02–2016 | यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 619 / अपील / 13–14 में पारित आदेश दिनांक 30.6.14 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है।<br>प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री कमलेश्वर तिवारी उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राहयता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्को एवं निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के संदर्भ में निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों की प्रमाणित प्रतियों की छाया प्रतियों का अवलोकन किया गया तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 30.6.14 का परिशीलन किया गया।<br>अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.6.10 के पैरा कमांक 13 में विवेचना उपरांत यह निर्णय दिया कि ग्राम गंज की भूमि कमांक 456 रकबा 0.15 एकड़ एवं 457 / 1 रकबा 0.30 ए. पर शासन द्वारा अधिग्रहण पशु चिकित्सालय के लिए प्रमाणित होने के कारण नामांतरण कर दिया तथा भूमि खसरा कमांक 448 रकबा 0.49 ए. के उपखण्डों पर पूर्व से कौशल प्रसाद के नामांतरण को निरस्त करते हुए रिकार्ड में 36 एकड़ भूमि शासन एवं 0.13 एकड़ भूमि कौशल प्रसाद के नाम संशोधित करते हुए अधिग्रहित भूमि 0.13 ए.भूमि पर कौशल प्रसाद के स्थान पर पशु चिकित्सालय के नाम नामांतरण करने की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी से चाहे जाने हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार के आदेश की कंडिका 13 में अंकित स्थिति अनुसार चाही गयी अनुमति अपने प्रकरण कमांक 167 / अ–6 / 09–10 में पारित आदेश दिनांक 15.1.2013 से प्रदान की गयी। अपर आयुक्त के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश की अपील होने पर अपील में पारित आदेश | |

**प्रकरण कमांक** R -2518–तीन–.2014 **जिला रीवा**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश<br>दुर्गाशंकर / कौशल प्रसाद | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

दिनांक 30.6.14 से यह निष्कर्ष लिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सिर्फ तहसीलदार के आदेश का पालन करते हुए अभिलेख में सुधार का इन्द्राज करने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार अपर आयुक्त के समक्ष जो अपील की गयी है वह तहसीलदार के आदेश के कियान्वयन कराने संबंधी अनुमति आदेश की अपील की गयी है जबकि मूल आदेश की अपील की जाना चाहिए थी जो नहीं की गयी है। उनके द्वारा यह भी निष्कर्ष लिया गया है कि प्रकरण में भूमि धारकों को मुआवजा देकर भूमि अधिग्रहित की गयी है तथा उस पर कब्जा उपरांत अस्पताल भी बना है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा काफी विस्तृत एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है जिसके आधार पर प्रविष्टि सुधार करने की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है। जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर परिणामस्वरूप प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त एवं समुचित कारण नहीं होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राहय किया जाकर इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि.हो।

10.2.16

**(आशीष श्रीवास्तव)**
**सदस्य**